समाचार पत्रों की कतरनें

जनवरी 2025

सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी

उपायुक्त आबिद हुसैन ने कार्यक्रम के दौरान दिलाई शपथ

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ■ बिलासपुर

बिलासपुर जिले में परिवहन विभाग की ओर से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह आयोजित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जिला में सड़क सुरक्षा नियमों को बढ़ावा देना है। यह बात उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने सड़क सुरक्षा नियमों को लेकर आयोजित शपथ कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि महीने भर चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के बीच सड़क सुरक्षा उपायों को प्राथमिकता देने और सड़क दुर्घटना के मामलों को कम करना है। उन्होंने कहा कि सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त केवल सड़क सुरक्षा माह के दौरान ही ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकार की गाड़ी को चलाने वाले चालकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों को जीवन में आत्मसात कर लेना चाहिए।

■ 31 जनवरी तक आयोजित होंगी विभिन्न गतिविधियां और कार्यक्रम

उन्होंने कहा कि नियमों को जीवनभर अपनाने के लिए उसके बारे में जानकारी रखना भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस समर्पित माह के दौरान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला, उपमंडल, तहसील, ब्लॉक, ग्राम पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर आरटीओ राजेश कुमार कौशल के अतिरिक्त विभागों के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।

सख्ती से होगी अधिनियम की पालना

मोटर वाहन अधिनियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि हेलमेट, सीट बेल्ट का उपयोग, शराब पीकर वाहन चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग जैसे नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए जाएंगे। स्कूलों, कॉलेजों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाने में स्वयंसेवकों की मदद ली जाएगी।

शिविर लगाकर जांचेंगे आंखें

अतिरिक्त स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से सार्वजनिक परिवहन चालकों के लिए निःशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा ट्रकों और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव शीटिंग की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। छात्रों और युवाओं को सड़क सुरक्षा पर आधारित प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाएगा।

अंधे मोड़ों पर लगेंगे सूचनात्मक संकेत

अंधे मोड़ों, ब्लैक स्पॉट्स और संवेदनशील स्थानों पर सूचनात्मक संकेत लगाए जाएंगे। इसके साथ ही गति सीमा और स्कूल जोन के संकेत लगाने का कार्य भी किया जाएगा। सड़क दुर्घटनाओं और दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की जाएगी। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के दौरान जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों को यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–03 जनवरी 2025
पेज न0–07, कालम–1,2,3

स्क्रैप पॉलिसी पर प्रदेश का पक्ष रखेंगे डिप्टी सीएम

आज दिल्ली में होगी मीटिंग, सड़क परिवहन मंत्रालय करेगा परिवहन मंत्रियों से चर्चा

विशेष संवाददाता – शिमला

केंद्र सरकार देशभर में स्क्रैप पॉलिसी पर राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया लेगी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को दिल्ली में आयोजित होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। अलग-अलग राज्यों के परिवहन मंत्री इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। स्क्रैप पॉलिसी पर हिमाचल का पक्ष रखने के लिए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने स्क्रैप पॉलिसी तैयार की है और इसमें 10 से 15 साल पुराने अलग-अलग श्रेणी के वाहनों को स्क्रैप करने की बात कही गई है। केंद्र सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय ने 16 जनवरी, 2023 वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के मुताबिक 31 मार्च, 2023 को 15 साल पूरे होने पर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द किया गया है। हिमाचल में इस पॉलिसी को लागू किया जा चुका है, लेकिन राज्य के सामने बड़ा संकट स्क्रैप सेंटर न होने का है। प्रदेश में अभी तक स्क्रैप सेंटर नहीं खुल पाए हैं। ऐसे में उपमुख्यमंत्री दिल्ली में होने वाली इस मीटिंग में स्क्रैप सेंटर की बात भी कर सकते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हिमाचल सरकार में करीब डेढ़ हजार ऐसे वाहन हैं, जो स्क्रैप की तय आयु पूरी कर चुके हैं। राज्य सरकार ने निजी वाहन मालिकों के लिए स्क्रैप पॉलिसी के तहत 25 फीसदी की छूट देने का भी फैसला किया है। इस संबंध में सरकार ने पिछले साल नौ फरवरी को अधिसूचना जारी की थी। इसके अनुसार टोकन टैक्स, रोड टैक्स और स्पेशल टैक्स में निजी वाहनों को 25, जबकि सवारी वाहनों को 15 फीसदी छूट देने का फैसला राज्य सरकार ने किया है।

केसी वेणुगोपाल से मिले मुकेश अग्निहोत्री

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोमवार को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने हिमाचल में राजनीतिक हलचल पर भी बातचीत की। मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि वह दिल्ली में हैं और कांग्रेस के राष्ट्रीय कार्यालय में महासचिव केसी वेणुगोपाल से उन्होंने शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान हिमाचल की मौजूदा स्थिति और दिल्ली के चुनाव की तैयारियों पर भी चर्चा हुई है।

दिव्य हिमाचल, दिनांक.7 जनवरी 2025
पेज न0.04, कालम–3,4,5

सड़क हादसों में आई 6.48 फीसदी की कमी

शिमला। सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के प्रति राज्य सरकार के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप वर्ष 2024 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में कमी आई है।

वर्ष 2023 की तुलना में प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 फीसदी की कमी आई है। वर्ष 2024 में 2107 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जबकि वर्ष 2023 में 2253 दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु की दर में भी कमी हुई गई। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली आकस्मिक मृत्यु दर में कमी सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने बहुमूल्य जीवन बचाने के लिए अनेक पहल की हैं। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक.8 जनवरी 2025
पेज न0.03, कालम–4,5

डीसी अनुपम कश्यप और एसपी संजीव गांधी ने सड़क सुरक्षा अभियान का किया शुभारंभ

यातायात नियमों का सख्ती से पालन करें चालक

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत उपायुक्त अनुपम कश्यप और पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने सीएमपी क्रॉसिंग पर वाहन चालकों को पत्रक वितरित किए। इसके अलावा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने का आह्वान भी किया। इससे पूर्व उपायुक्त की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा माह को लेकर बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में फैसला लिया गया कि शोघी, ठियोग, सरस्वती नगर और दत्तनगर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित होंगे, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के समय घायलों का उपचार करने में फर्स्ट रिस्पोंडेंट की भूमिका के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह शिविर 15 से 18 जनवरी तक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित किए जाएंगे। 10 जनवरी को बाइक रैली आयोजित की जाएगी। 8,17 और 18 जनवरी को वाहनों की पॉसिंग के दौरान नेत्र जांच शिविर आयोजित होंगे और 23 जनवरी को रिज मैदान पर रक्तदान शिविर का आयोजन भी करवाया जाएगा। निबंध लेखन स्पर्धा, चित्रकला और नारा लेखन प्रतियोगिता ऑनलाइन आयोजित करवाई जाएंगी। इसमें प्रथम स्थान हासिल करने वाले का 5 हजार रुपये, द्वितीय को 3 हजार और तृतीय स्थान हासिल करने वाले को 2 हजार रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा।

■ सीएमपी क्रॉसिंग पर बांटे सड़क सुरक्षा को लेकर पत्रक

गेयटी में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम 31 को

डीसी ने कहा कि जिला भर में सड़क सुरक्षा को लेकर अभियान 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। 31 जनवरी को गेयटी में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि सड़क पर यातायात नियमों का पालन करने में सभी अपना कर्तव्य निभाए। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग वाहन चलाते समय अनुशासन के तहत रहे। वाहन चालक अपनी जान को सुरक्षित रखे और इसके अलावा दूसरों की जान को भी सुरक्षित रखना सुनिश्चित करें।

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है उद्देश्य : संजीव गांधी

पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी ने कहा कि सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य चालकों को सड़क सुरक्षा के बारे में शिक्षित करना और वर्तमान और संभावित चालकों के बीच सुरक्षित ड्राइविंग प्रथाओं को बढावा देकर सड़कों पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करना है।

दोपहिया वाहन चलाते समय पहनें हेलमेट

सड़क सुरक्षा सप्ताह अभियान का उद्देश्य वाहन मालिकों और पैदल चलने वालों दोनों में सामूहिक जिम्मेदारी की भावना पैदा करना है। युवाओं, बुजुर्गों और यहां तक कि बच्चों को दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट और चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट जरूर पहनें।

हिमाचल दस्तक , दिनांक.8 जनवरी 2025
पेज न0.04, कालम–4,5,6,7,8

2023 के मुकाबले रोड एक्सीडेंट में आई 6.48 फीसदी की कमी

राज्य में 2024 में कम हुई सड़क दुर्घटनाएं

हिमाचल दस्तक ■ शिमला

■ सड़क दुर्घटनाओं के साथ मृत्यु दर में भी आई कमी

हिमाचल प्रदेश में साल 2024 के दौरान राज्य में सड़क दुर्घटनाओं और मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई है। वर्ष 2023 की तुलना में हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। वर्ष 2024 में 2107 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। जबकि वर्ष 2023 में 2253 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थीं। सड़क दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु दर में भी कमी दर्ज हुई है।

विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में वर्ष 2024 में 806 लोगों की मृत्यु हुई। जबकि वर्ष 2023 में 892 लोगों की मृत्यु हुई थी। वर्ष 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में 3449 लोग घायल हुए। जबकि वर्ष 2024 में 3290 लोग विभिन्न सडक दुर्घटनाओं में घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं और इनसे होने वाली मृत्य दर में कमी प्रदेश सरकार, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का प्रमाण है। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने लोगों के बहुमूल्य जीवन को बचाने के लिए अनेक सकारात्मक पहले की हैं। वर्तमान राज्य सरकार ने जिम्मेदार वाहन चालन, सड़कों के बुनियादी ढांचे में सुधार और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान शुरू किए हैं। राज्य सरकार के प्रयासों से यातायात नियमों का प्रवर्तन मजबूत हुआ है और दुर्घटना पीड़ितों को समय पर चिकित्सा सहायता आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली भी सुदृढ़ हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से सड़क दुर्घटनाओं और इसके कारण होने वाली मृत्यु दर में कमी आई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को विशेष प्राथमिकता दे रही है और आने वाले वर्षों में दुर्घटनाओं को और कम करने के लिए निरंतर प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें लोग : सीएम

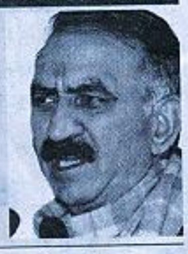

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से यातायात नियमों का पालन करने, तेज गति से वाहन न चलाने और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सड़कों को सुरक्षित बनाने के मिशन में जन भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मानव जीवन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सड़क सुरक्षा को और बेहतर बनाने के हरसंभव प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे।

हिमाचल दस्तक , दिनांक.8 जनवरी 2025
पेज न0.2, कालम–4,5,6,7

जिला सोलन में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का आईरेड पोर्टल पर अपलोड होगा आंकड़ा

तोमर ठाकुर ■ सोलन

जिला सोलन में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं का डाटा अब आईरेड पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसका फायदा यह होगा कि जिला में कितने सड़क हादसे हुए हैं और असल में सड़क हादसे की वजह क्या है इस पोर्टल के माध्यम से सरकार आसानी से देख सकेगी। इसके लिए सरकार की तरफ से स्वास्थ्य विभाग सोलन को आदेश जारी हुए हैं। यह पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने बनाया है। उधर शुरू आती दिनों में यह डाटा हेल्थ डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा। उनके साथ पुलिस और हाईवे की टीमें भी सहयोग करेंगी। जब विभाग के पास लगातार हादसों का आंकड़ा पहुंचता रहेगा तो यह भी पता चलेगा कि कहां अधिक सड़क हादसे हुए हैं और इसकी वजह क्या है। उधर पहले भी सड़क दुर्घटनाओं के लिए रेडमास नामक एक पोर्टल बनाया गया था, जिस पर सड़क हादसों की संख्या बताने के लिए कहा गया था। लेकिन अब इसे अपग्रेड कर आईरेड बना दिया गया है। अपग्रेडेशन के साथ ही इसमें सड़क हादसों की वजह सहित कई अन्य कारण भी अपलोड करने के लिए कहा गया है।

■ मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे करेगी मॉनिटरिंग

निजी क्लीनिक से भी लिया जाएगा डेटा

सरकारी अस्पतालों के अलावा निजी अस्पतालों को भी सड़क हादसों के बारे में जानकारी देनी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कदम उठाते हुए करीब सभी हॉस्पिटल से इस बारे में बातचीत भी कर ली है। हालांकि अभी शुरूआती समय है। ऐसे में कुछ हॉस्पिटल डाटा देने में गुरेज कर रहे हैं, लेकिन विभाग की मानें तो जल्द ही सभी हॉस्पिटल से सटीक डाटा आना शुरू हो जाएगा।

मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की तरफ से एक आईरेड पोर्टल बनाया गया है। इस पोर्टल पर अब.जिला में होने वाली सभी सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानकारी अपलोड की जाएगी। इसमें प्रॉपर बताया जाएगा कि सड़क हादसा कहां हुआ है? क्या वजह है? कहां सड़क हादसे अधिक हो रहे हैं। इसकी पूरी जानकारी इसी पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएगी।

- डॉ. गगनदीप, जिला कार्यक्रम अधिकारी, सोलन।

हिमाचल दस्तक , दिनांक.8 जनवरी 2025
पेज न0.2, कालम–4,5,6,7

चालकों की आंखें जांचीं, 10 को चश्मा लगाने की सलाह

सड़क सुरक्षा के तहत शिविर आयोजित, तारादेवी में आए थे ड्राइविंग टेस्ट के लिए

शिमला। सड़क सुरक्षा माह के तहत परिवहन विभाग ने ड्राइविंग टेस्ट के लिए आने वाले आवेदकों और वाहनों की फिटनेस करवाने आए लोगों की आंखों की जांच करवाई।

चिकित्सकों ने करीब 170 लोगों के आंखों की जांच की। 10 लोगों को चश्मा बनवाने की सलाह दी गई। इसके अलावा कुछ लोगों को आंखों की जांच के लिए अस्पताल भी बुलाया है। इसके अलावा सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों को यातायात नियमों को लेकर जागरूक किया गया। आरटीओ अनिल कुमार शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत इस महीने लगातार जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं ड्राइविंग टेस्ट के बाद करीब 195 लोगों के लाइसेंस बनाए गए। इसमें निजी वाहनों के अलावा टैक्सी, मैक्सी, ट्रक समेत अन्य व्यावसायिक वाहनों के लाइसेंस शामिल थे। इसके अलावा दो दिनों में 70 छोटे और बड़े वाहनों की पासिंग की गई है।

यातायात नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया

इस मौके अधीक्षक रजनीश जैन, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पंकज सिंह सहित अन्य मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला, दिनांक.9 जनवरी 2025
पेज न0.03, कालम–2,3,4,5

घायलों के कैशलेस इलाज की 14 मार्च तक योजना बनाए केंद्र

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश : हादसे का शुरुआती एक घंटा उपचार में अहम

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत सड़क हादसे के पीड़ितों को एक घंटे के भीतर यानी गोल्डन ऑवर में कैशलेस इलाज उपलब्ध कराने के लिए 14 मार्च तक योजना बनाए।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने अपने आदेश में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 (2) का हवाला दिया। कहा, इसकी उपधारा 2(12-ए) के तहत गोल्डन ऑवर किसी हादसे में लगी चोट के बाद पहले एक घंटे का समय है, जिसमें वक्त पर उपचार मिलने से मौत टालने की सबसे अधिक उम्मीद होती है। पीठ ने कहा, जैसा परिभाषा से साफ है कि दर्दनाक चोट के बाद का एक घंटा सबसे अहम होता है। कई मामलों में, यदि समय रहते जरूरी इलाज नहीं दिया जाता, तो घायल व्यक्ति जान गंवा सकता है।

पीठ ने कहा, धारा 162 मौजूदा परिदृश्य में महत्वपूर्ण है, जब वाहन हादसों के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार को नियम बनाने का निर्देश दिया जाता है। यह प्रक्रिया हर हाल में इसी 14 मार्च तक पूरी हो जानी चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त वक्त नहीं दिया जाएगा। पीठ ने योजना की एक प्रति 21 मार्च तक रिकॉर्ड में रखने का निर्देश दिया। साथ ही, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारी का हलफनामा भी पेश करने को कहा, जिसमें इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया बतानी होगी।

संविधान में मिला जीवन का अधिकार

पीठ ने कहा, गोल्डन ऑवर में कैशलेस उपचार मुहैया कराने की योजना बनाने के लिए धारा 162 के प्रावधान का मकसद संविधान के अनुच्छेद 21 की गारंटी जीवन का अधिकार बनाए रखना और उसकी रक्षा करना है। यह योजना बनाना केंद्र सरकार का वैधानिक दायित्व है। शीर्ष अदालत ने कहा, उप-धारा (2) के तहत योजना बनाने के लिए केंद्र के पास उचित से अधिक समय था। फिर भी योजना अब तक लागू नहीं हुई। योजना को अधिनियम के तहत विभिन्न बीमा कंपनियों की ओर से क्रियान्वित किया जाना है। अदालत ने मामले पर विचार के लिए 24 मार्च की तारीख तय की।

अधिकतम डेढ़ लाख रुपये देने के केंद्र के प्रस्ताव पर चिंता : आवेदक के वकील ने केंद्र के अवधारणा नोट की सामग्री पर कई चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने बताया, योजना के तहत अधिकतम डेढ़ लाख रुपये के भुगतान का प्रावधान है। योजना के तहत सात दिन तक ही उपचार दिया जाएगा। पीठ ने कहा, हमें लगता है कि योजना बनाते समय इन चिंताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। योजना ऐसी हो जो तत्काल इलाज देकर जीवन बचाने के मकसद को पूरा करे।

गडकरी ने दी थी जानकारी : केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक दिन पहले यानी मंगलवार को परिवहन विकास परिषद की दो दिनी कार्यशाला में बताया था कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों को सात दिन तक और अधिकतम डेढ़ लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। यह भी कहा था कि देशभर में यह योजना मार्च तक लागू कर दी जाएगी। हालांकि, अब कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार को इस पर पुनर्विचार करना होगा।

अमर उजाला, दिनांक.9 जनवरी 2025
पेज न0.14, कालम–1,2

प्रदेश में नए ब्लैक स्पॉट अब तक चिन्हित नहीं

- सुप्रीम कोर्ट कमेटी से सूची का इंतजार 717 स्पॉट दे रहे हादसों को न्यौता
- केंद्र सरकार के सभी राज्यों को ब्लैक स्पॉट पर तेजी से काम करने के निर्देश

चीफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश में ब्लैक स्पॉट को लेकर नई सूची नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको चिन्हित करने के लिए विशेष कमेटी बनाई है, मगर वहां से अब तक सूची नहीं मिल पाई है। बताया जाता है कि पिछले साल दिसंबर महीने तक यह सूचना वहां से आनी चाहिए थी, जिसके बाद यहां ब्लैक स्पॉट में सुधार के लिए कदम उठाए जाते, परंतु अब तक सूचना नहीं आने से काम शुरू नहीं हो पाया है। वैसे जो पुराने ब्लैक स्पॉट थे उनमें काफी ज्यादा सुधार यहां पर कर दिया है और पुरानी सूची के अनुसार राज्य में 717 ब्लैक स्पॉट हैं, जिनमें सुधार का काम चल रहा है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को ब्लैक स्पॉट पर तेजी के साथ काम करने को कहा है। पिछले तीन सालों में इन ब्लैक स्पॉट पर 395 लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े राज्य सरकार के हैं। राज्य लोक निर्माण विभाग ने 30 नवंबर 2024 तक इन ब्लैक स्पॉट को खुद चिन्हित किया है। हालांकि इन्हें दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है। पिछले तीन सालों में यानी 2021 से 2024 तक कुल 1864 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए। वर्तमान में 717 ब्लैक स्पॉट हैं, इन्हें भी दुरुस्त कर दिया है। विभाग के अनुसार वर्ष 2021.22 में 747 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए थे जबकि 2022-23 में 440, 2023-24 में 405 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए, जबकि अप्रैल 2024 से नवंबर तक 272 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं।

ऐसे सुधारे जा रहे ब्लैक स्पॉट

राज्य लोक निर्माण ब्लैक स्पॉट को खत्म करने के लिए रिटेनिंग वॉल, ब्रैस्टबॉल एवं पैराफिट सुरक्षा दीवार का निर्माण, क्रैश बैरियर, रोड साइन, तीखे मोडों का सुधारीकरण करता है। यह कार्य साल भर चलता रहता है। इन्हें ठीक करने के लिए वित्त वर्ष 2024-25 में 15.62 करोड़ रुपए का प्रविधान किया है। इसमें वार्षिक कार्य योजना के तहत 6.52 करोड़ रुपए और राज्य वार्षिक बजट के तहत 9.10 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। सुधार का कार्य प्रगति पर है। सरकार ने सत्ता में आते ही ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने की बात कही थी। इस पर काम भी किया जा रहा है।

कांगड़ा जिला में सबसे ज्यादा मौतें

ब्लैक स्पॉट को चिन्हित करने की परिभाषा को देखें तो सड़क के 500 मीटर के स्ट्रेच में तीन साल में पांच दुर्घटनाएं हों या फिर तीन साल में दस लोगों की मौत उसी स्थान पर हो तो उसे ब्लैक स्पॉट माना जाता है। पिछले तीन सालों में ब्लैक स्पॉट परब मौतों का ब्यौरा देखें तो शिमला में 20, सिरमौर में 57, सोलन में 60, मंडी में 28, कुल्लू में 60, हमीरपुर में तीन, बिलासपुर में 32, ऊना में 23, कांगड़ा में 95 व चंबा में 17 हुई हैं।

मौजूदा वित वर्ष में 15.62 करोड़ रुपए खर्च

लोक निर्माण विभाग द्वारा ब्लैक स्पॉट को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। रिटेनिंग वॉल, ब्रैस्टवॉल एवं पैराफिट सुरक्षा दीवार का निर्माण, क्रैश बैरियर, रोड साइन, तीखे मोड़ों का सुधारीकरण किया जा रहा है। मौजूदा वित वर्ष में 15.62 करोड़ रुपए का बजट खर्च किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट इसकी नई सूची दे तो नए ब्लैक स्पॉट पर जल्द से जल्द काम शुरू हो।

दिव्य हिमाचल, दिनांक.9 जनवरी 2025
पेज न0.2, कालम–1,2

तैयारी एचआरटीसी के निदेशक मंडल की बैठक 15 जनवरी को, खरीद के लिए वर्क ऑर्डर देने पर होगा फैसला

मिनी और मिडी बसों के टेंडर में होगा बदलाव

चीफ रिपोर्टर – शिमला

हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक मंडल की बैठक अब 15 जनवरी को रखी गई है। शिमला में यह बैठक होगी और इसमें कई महत्तवपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। एचआरटीसी को 100 मिनी व मिडी बसें, जो कि 18 सीटर होंगी, की खरीद करनी है। इसके लिए टेंडर लगाया गया था, मगर कंपनियों ने टेंडर में कुछ बदलाव की मांग की थी। उसे एचआरटीसी ने भी जरूरी समझा है, लेकिन इसकी मंजूरी टेंडर में कुछ बदलाव का मामला निदेशक मंडल की बैठक में लाया जाएगा। इसके बाद नए सिरे से टैम्पो ट्रैवलर की खरीद के लिए टेंडर लगेगा और इनकी खरीद की जाएगी। अगले महीने तक इनकी सप्लाई एचआरटीसी को मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ वोल्वो और इलेक्ट्रिक बसों के अलावा 250 डीजल बसों की खरीद का मामला भी है जिसमें एचआरटीसी के निदेशक मंडल से मंजूरी ली जानी है। इसकी औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद वर्क ऑर्डर जारी किया जाएगा। बता दें कि एचआरटीसी निदेशक मंडल बैठक की अध्यक्षता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री करेंगे। वह दिल्ली से गुरुवार की सुबह शिमला के लिए रवाना होंगे और यहां कैबिनेट की बैठक से पहले पहुंच जाएंगे। इसके बाद

बीओडी मीटिंग में बस अड्डों को लेकर भी होगी चर्चा

बैठक में बस अड्डा प्रबंधन की भी बैठक होगी और उनके बस अड्डों से जुड़े मामलों को भी यहां रखा जाएगा। कुछ जगहों पर पुराने बस अड्डों का इस्तेमाल करने का मामला सामने है, जिसमें एक कमेटी एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक मुरारी लाल की अध्यक्षता में बनी थी। इस कमेटी ने कुछ जगहों का दौरा कर लिया है, जो अपनी रिपोर्ट को निदेशक मंडल की बैठक में रखेंगे। यहां पर निर्णय लिया जाएगा कि जिन जगहों पर नए बस अड्डों का निर्माण हो चुका है, वहां पर पुराने अड्डों का क्या किया जाए। उनको पार्किंग के रूप में इस्तेमाल किए जाने का मामला है। इसके साथ कांगड़ा बस अड्डे व मकलोडगंज बस अड्डे को एचआरटीसी को अपने अधीन लेना है जिसका आर्बिट्रेशन का मामला चल रहा है। संबंधित कंपनी को सरकार 25 करोड़ देने को तैयार है। अब निदेशक मंडल की बैठक में इसपर भी निर्णय होगा कि आगे क्या किया जाना है। इसके साथ कुछ स्थानों पर नए बस अड्डे बन चुके हैं और उन बस अड्डों के उद्घाटन को लेकर भी सीएम से समय लिया जाना है। इन बस अड्डों का संचालन कब से करना है और कैसे करना है, इसको लेकर भी चर्चा होगी। अभी एचआरटीसी के एमडी रोहन चंद भी दिल्ली में हैं और वो भी गुरूवार को वापस शिमला लौट आएंगे। इसके बाद निदेशक

दिव्य हिमाचल, दिनांक.13 जनवरी 2025

पेज न0.2, कालम–1,2,3

प्रभुनाथ शुक्ल

e-mail :
pnshukla6
@gmail.com

दुर्घटना में मुफ्त इलाज की सार्थक नीति

भारत में बढ़ते सड़क हादसे चिंता का विषय हैं। सबसे अहम बात है कि हादसों में सबसे अधिक युवा अपनी जान गंवाते हैं। सड़क हादसे आम परिवारों के लिए बेहद पीड़ादायक होते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि सड़क हादसे क्यों होते हैं। क्या सड़क हादसों के पीछे यातायात नियम दोषी हैं या फिर सड़कों की खस्ताहाली। दूसरा अहम सवाल है कि सबसे अधिक युवाओं की ही मौत क्यों होती है? सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वाहनों के संचालन के लिए जो यातायात नियम बने हैं निश्चित रूप से हम उनका अनुपालन नहीं करते। अगर हम यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों की मेंटेनेंस और फिटनेस का ख्याल रखें तो सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है।

बाते साल 2024 में हमारे देश में सड़क हादसे में 1.80 लाख लोगों की जान गई। जबकि 30 हजार लोगों की मौत का कारण हेलमेट बना। क्योंकि वाहन चलाते समय उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। आंकड़ों का सबसे दुःखद पहलू यह है कि 10 हजार स्कूली बच्चों को, स्कूलों में गलत प्रवेश और एग्जिट प्वाइंट की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने आप में यह बड़ा सवाल है। साल 2024 में हुई कुल मौतों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की रही है। सड़क हादसों में मरने वाले 66 फीसदी युवा थे जिनकी उम्र 18 से 34 वर्ष के बीच थी। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों की मानें तो मरने वालों में तकरीबन तीन हजार ऐसे लोग भी शामिल थे जिन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस नहीं लिया था। मंत्रालय के अनुसार देश में अभी 22 लाख प्रशिक्षित चालकों की कमी है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय देशभर में 1250 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर खोलने जा रहा है। मार्च में इस योजना की शुरुआत होगी। प्रशिक्षण लेने के बाद लोगों को जहां रोजगार मिलेगा, वहीं देश को प्रशिक्षित चालक भी मिलेंगे। निश्चित रूप से राजमार्ग मंत्रालय की यह अनूठी पहल है।

आमतौर पर देखा गया है कि हम वाहन चलाते समय यातायात नियमों और सड़क पर प्रदर्शित संकेतों का प्रयोग नहीं करते हैं। हमें यात्रा के दौरान वाहनों की स्पीड सीमा को नियंत्रित करना चाहिए। सड़क हादसों से सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं होती, कभी-कभी तो पूरा परिवार ही सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। वाहनों के संचालन के दौरान वाहनों पर हमारा खुद का नियंत्रण होना चाहिए। नशे की हालत में वाहनों का संचालन कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन तमाम कानूनी कवायदों के बाद भी हम जिंदगी के प्रति बेहद लापरवाह होते हैं। कभी-कभी ऐसा भी देखा गया है कि खुद सुरक्षित ड्राइविंग करने के बाद भी हम दूसरे की गलती से हादसे का शिकार हो जाते हैं। हमें ऐसी स्थिति से बचना चाहिए।

भारत सरकार और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय सड़क दुर्घटनाओं में मौत के आंकड़े को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी पहल लेकर आया है। भारत में पहली बार सड़क हादसों में घायल व्यक्तियों का कैशलेस इलाज होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय राजमार्ग मंत्रालय के मुखिया नितिन गडकरी की यह अनूठी पहल वाकई काबिलेतारीफ है। मंत्रालय की इस पहल से लाखों लोगों को इलाज उपलब्ध कराकर घायलों की जान बचाई जा सकती है। घायल व्यक्ति का किसी भी अस्पताल में एक सप्ताह तक मुफ्त इलाज होगा। सरकार इस पर 1.50 लाख रुपये का भुगतान करेगी। पीड़ित को इलाज पर आने वाले डेढ़ लाख के खर्च पर कोई अतिरिक्त भुगतान संबंधित अस्पताल को नहीं करना होगा।

सड़क दुर्घटनाओं का विश्लेषण करने से पता चलता है कि वाहनों के संचालन के लिए जो यातायात नियम बने हैं निश्चित रूप से हम उनका अनुपालन नहीं करते। अगर हम यातायात नियमों का पालन करें, वाहनों की मेंटेनेंस और फिटनेस का ख्याल रखें तो सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। केंद्रीय सड़क राजमार्ग मंत्रालय देशभर में 1250 ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर खोलने जा रहा है। मार्च में इस योजना की शुरुआत होगी। निश्चित रूप से राजमार्ग मंत्रालय की यह अनूठी पहल है...

अभी तक सड़क हादसों में आमतौर पर यह देखा गया था कि दुर्घटनाओं में घायल व्यक्ति को लोग अस्पताल तक ले जाने में हिचकते थे, लेकिन मंत्रालय ने अब संबंधित घायल को अस्पताल तक पहुंचाने एवं जान बचाने वाले व्यक्ति के लिए पांच हजार के पुरस्कार की घोषणा की है। निश्चित रूप से इस तरह की योजना घायलों के लिए वरदान साबित होगी। जबकि अब तक लोग पुलिस की कानूनी जांच-पड़ताल की वजह से किसी घायल की मदद के लिए आगे नहीं आते थे। जिसकी वजह से समय पर इलाज न मिलने से घायल व्यक्ति दमतोड़ देता था।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के कुछ हिस्सों में इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया था, लेकिन अब इस योजना को पूरे देश में मार्च से लागू किया जाएगा। इस योजना की एक और अच्छी विशेषता यह होगी कि हिट एंड रन जैसे मामले में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये की तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। हालांकि इस योजना में थोड़े से सुधार की आवश्यकता है। कभी-कभी गंभीर हादसों का शिकार हुआ व्यक्ति कोमा में चला जाता है उस दौरान उसके इलाज पर काफी लंबा खर्च होता है।

मध्यम एवं कम आयवर्ग के परिवारों के लिए इतने पैसे का भुगतान करना काफी मुश्किल होता है। लोगों को अपने घर मकान और खेत तक बेचने या गिरवी रखने पड़ते हैं। ऐसी हालत में सरकार को एक्सीडेंटल हेल्थ बीमा स्कीम लेकर आनी चाहिए। हलांकि निजी क्षेत्र में बीमा कंपनियों ने इस तरह की स्कीम लॉन्च की है। लेकिन उसका प्रीमियम अधिक होने से आम आदमी के लिए यह संभव नहीं है। वाहनों को खरीदते समय ही कम पैसे में एकमुश्त आजीवन प्रीमियम भुगतान पॉलिसी होनी चाहिए। जिसका लाभ उसे दुर्घटना जैसी विषम स्थिति में मिल पाए।

केंद्र सरकार इसी योजना के क्रम में देशभर में एक और अवसर लेकर आ रही है। जिसमें वाहनों की कबाड़ पॉलिसी एवं ड्राइविंग ट्रेनिंग पॉलिसी भी शामिल है। यह भी अपने आपमें एक बेहतरीन पॉलिसी है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार देश भर में 1250 नए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के साथ वाहनों के फिटनेस सेंटर खोले जाएंगे। सरकार इस पर साढे चार हजार करोड़ रुपए खर्च करेगी। 25 लाख लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इन नीतियों से साफ होता है कि सुरक्षित यात्रा को लेकर सरकार बेहद गंभीर है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

हिमाचल दस्तक, दिनांक.13 जनवरी 2025

पेज न0.9 कालम–3,4,5,6

ऊना में वाहन चालकों को बताए सड़क सुरक्षा के नियम

हिमाचल दस्तक ▮ ऊना

जिला मुख्यालय के ट्रैफिक लाइट चौक पर मंगलवार को नेहरू युवा केंद्र संगठन और क्षेत्रीय परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों से अवगत करवाने हेतु विशेष अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी अशोक कुमार कलसी ने विशेष रूप से नेहरू युवा केंद्र संगठन के अधिकारियों और स्वयंसेवकों के साथ सड़क पर उतारकर वाहन चालकों को यातायात नियमों का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सड़क पर चलते हुए यातायात नियमों का पालन करना बेहद आवश्यक है। इसमें अपनी और अन्य वाहन चालकों की सुरक्षा निहित है।

आरटीओ ने कहा कि जिला भर में वर्तमान में बेत्ताशा सड़क हादसे सामने आ रहे हैं, इनमें कई लोगों की जान भी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में आवश्यक है कि सभी लोग यातायात नियमों का पालन करें। उन्होंने कहा कि 31 जनवरी तक राष्ट्रीय स्तर पर सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। जिसके तहत विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हुए लोगों को यातायात के नियमों से अवगत करवाने के साथ-साथ सुरक्षित ड्राइविंग के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.15 जनवरी 2025
पेज न0.10 कालम–1,2

शिमला में बढ़ रहे सड़क हादसे

वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा पेश आईं दुर्घटनाएं

हिमाचल दस्तक ▮ शिमला

जिला शिमला में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ा है। शिमला में साल 2023 के मुकाबले 2024 में ज्यादा सड़क हादसे पेश आए हैं। शिमला में सड़क हादसों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हालांकि रोड सेफ्टी को लेकर प्रशासन हरसंभव प्रयास कर रहा है, ताकि लोगों को जागरूक कर हादसों को कम किया जाए सके। मगर इसके बावजूद हादसों के ग्राफ में बढ़ोतरी आकी गई है।

शिमला में साल 2023 के दौरान 300 सड़क हादसे पेश आए थे, लेकिन साल 2024 में हादसों में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई है। साल 2024 में जिला शिमला में 319 सड़क हादसे हुए हैं। जिला शिमला में पेश आए हादसों में ज्यादातर हादसे लापरवाही यानी मानवीय चूक के चलते पेश आए हैं। मानवीय चूक के साथ हादसों का कारण ओवर स्पीड भी कारण रहा है। लापरवाही और

▮ वर्ष 2023 में 300, वर्ष 2024 में हुए 319 हादसे

ओवर स्पीड के कारण शिमला में कई लोगों को जान गंवानी पड़ी है। हालांकि प्रदेश में साल 2023 के मुकाबले 2024 में हादसों का ग्राफ कम आका गया है, लेकिन जिला शिमला में बीते साल के मुकाबले हादसों की संख्या में ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। शिमला में मौजूदा समय में भी रोड सेफ्टी के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लेकिन जागरूकता के बावजूद भी शिमला में हादसे कम नहीं हो रहे है।

परिवहन विभाग से प्राप्त आंकड़ों के तहत शिमला में साल 2023 के मुकाबले सड़क हादसों की संख्या ज्यादा रही है। जिला शिमला में मई, जून माह के दौरान ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हैं। इसके अलावा अक्तूबर, नवंबर और दिसंबर माह के दौरान भी हादसे अधिक पेश आए हैं। प्रदेश सहित जिला शिमला में परिवहन विभाग सहित पुलिस, जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें विभिन्न माध्यमों से लोगों को रोड सेफ्टी के प्रति जागरूक किया जा रहा है। वहीं हादसों से बचने के लिए सुझाव दिए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जिला शिमला में हादसों का ग्राफ बढ़ा है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.16 जनवरी 2025

पेज न0.10 कालम–6,7,8

एचआरटीसी बसों को परिवहन नीति के तहत आरटीओ की मीटिंग में दिए जाएं परमिट

शिमला में एडिशनल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से उठाई मांग

हिमाचल दस्तक ▮ सोलन

मां शूलिनी निजी बस संचालक संघ सोलन के पदाधिकारियों ने एडिशनल डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट से शिमला में वीरवार को मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अध्यक्ष रणजीत सिंह ने किया। रणजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान डायरेक्टर से कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें सीटिंग कैपेसिटी कम करने के फायदे बताए गए। अध्यक्ष के मुताबिक नई बसें खरीदने से सरकार को 18 प्रतिशत जीएसटी चेसी और बॉडी में मिलेगा इससे राजस्व में फायदा होगा। इसके अलावा छोटी बसें होने से ऑपरेटर समय अनुसार एसआरटी भी जमा करवा पाएगा। जबकि जिन ऑपरेटर ने सवारियां कम होने के कारण बसें खड़ी कर दी है, वे भी बसें चलाने में समर्थ हो जाएंगे। इसके अलावा छोटी बसें होने से ट्रैफिक जाम की समस्या से भी काफी हद तक निजात मिलेगी। जबकि यूरो 6 नई बसें आने से पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो जाएगा। इसके साथ ही अध्यक्ष ने मुलाकात के दौरान कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को परिवहन नीति अनुसार आरटीओ की मीटिंग में परमिट दिए जाएं। उन्होंने कहा कि निजी बस ऑपरेटर इस समय घाटे में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि निजी बसों को इसलिए भी घाटा हो रहा है क्योंकि एचआरटीसी में महिलाओं को 50 प्रतिशत किराये की छूट है। ऐसे में महिलाएं प्राइवेट बसों में नहीं बैठती है। उन्होंने कहा कि विभाग एचआरटीसी को टेंपरेरी रूट जारी करते हैं। जिसमें प्राइवेट बस मालिकों की आपत्तियों को नहीं सुना जाता। जबकि टेंपरेरी रूट का आरटीओ ऑफिस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं होता। इसके साथ ही मुलाकात के दौरान उन्होंने कहा कि एचआरटीसी बसों को समय अनुसार नहीं चलाया जाता।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.17 जनवरी 2025

पेज न0.12 कालम–5,6,7

सड़क सुरक्षा अभियान के तहत छोल्टू में नेत्र जांच शिविर आयोजित

भावानगर (किन्नौर)। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिला स्वास्थ्य विभाग एवं परिवहन विभाग ने छोल्टू में निशुल्क नेत्र जांच शिविर लगाया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि इस शिविर में पटेल इंजीनियरिंग कंपनी एवं जेएसडब्ल्यू विद्युत ऊर्जा में कार्यरत 150 चालकों की नेत्र जांच की गई और उन्हें सड़क यातायात नियमों के बारे में जानकारी दी गई, ताकि जनजातीय जिला किन्नौर में मानवीय भूल के कारण हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और बहुमूल्य जीवन को बचाया जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस अवसर पर सड़क सुरक्षा नियमों के संदर्भ में प्रचार प्रसार सामग्री भी वितरित की गई और चालकों को निशुल्क दवा भी वितरित की गई। इस अवसर पर पटेल इंजीनियरिंग कंपनी एवं जेएसडब्ल्यू विद्युत ऊर्जा के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। संवाद

सड़क सुरक्षा को लेकर किया जागरूक

भावानगर (किन्नौर)। भावानगर में वीरवार को सड़क सुरक्षा को लेकर कर्मचारियों और अधिकारियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रामपुर जसपाल सिंह नेगी ने बताया कि सड़क सुरक्षा माह के तहत सड़क सुरक्षा पर जागरुकता अभियान की शुरुआत की गई।

सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों की मदद के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कार्य किया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों को पांच हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भी दी जा रही है। संवाद

हिमाचल दस्तक, दिनांक.17 जनवरी 2025

पेज न0.12 कालम–5,6,7

ब्लैक स्पॉट को जल्द किया जाए दुरुस्त : रोहित

जिला रोड सेफ्टी कमिटी की बैठक में एडीसी ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ मंडी

जिला में लोक निर्माण विभाग करीब 268 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से करीब 32 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त कर दिया गया है। इस बारे में शुक्रवार को एडीसी मंडी रोहित राठौर की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमिटी की एक बैठक आयोजित की गई। इसमें जिला में रोड सेफ्टी को लेकर किए गए जा रहे विभिन्न उपायों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि मंडी जिला में पिछले एक वर्ष के दौरान 272 एक्सीडेंट हुए हैं, जिनमें 108 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है और 430 लोग घायल हुए हैं। दिसंबर माह में ही 18 एक्सीडेंट हुए, जिनमें 7 लोगों की मृत्यु हुई है और 36 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में यह आंकड़ा बहुत ज्यादा है। इसके

ड्राइवरों की आंखों के चेकअप के लिए लगेंगे कैंप

एडीसी रोहित राठौर ने बताया कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय मंडी द्वारा शीघ्र ही जोगिंद्रनगर, सुंदरनगर, सरकाघाट और मंडी में वाहन चालकों की आंखों की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कैंप लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त रोड सेफ्टी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए शिवरात्रि मेले से पहले बाइक रैली भी आयोजित की जाएगी।

लिए उन्होंने लोक निर्माण विभाग को ब्लैक स्पॉट चिह्नित कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग के अधिशाषी अभियंता डीके वर्मा ने बताया कि जिला में 268 ब्लैक स्पॉट चिह्नित किए गए हैं, जिनमें से 32 ब्लैक स्पॉट्स को दुरुस्त कर दिया गया है। अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि जिला में फोरलेन सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। फोरलेन पर भारी गाड़ियां, जेसीबी, ट्रक, ट्रैक्टर टू व्हीलर आदि को फोरलेन की बाईं लेन में चलना होता है जबकि तेज गति में चलने वाली फोर व्हीकल या बड़े वाहनों को फोरलेन के दाईं लेन में लाना होता है, लेकिन इन नियमों का पालन नहीं हो रहा है और एक्सीडेंट का कारण बन रहा है। उन्होंने सभी वाहन चालकों से निर्धारित गति सीमा में रहकर अपनी लेन में ही वाहन चलाने का आग्रह किया।

रोहित राठौर ने एनएचएआई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए कि वह सड़क निर्माण के दौरान कहां सड़क की चौड़ाई कम है कहां पर गड्ढा है, कहां सड़क की कटिंग कर दी गई है। इसकी पूरी जानकारी के लिए सड़क निर्माण कंपनियां रिफ्लेक्टिंग टेप, डिवाइडर आदि लगाए।

हिमाचल दस्तक, दिनांक.18 जनवरी 2025

पेज न0.05 कालम–1,2,3,4

प्रदेश में एक साल में छह फीसदी घटे सड़क हादसे

सड़क सुरक्षा पर हुई कार्यशाला में दी जानकारी

शिमला। हिमाचल प्रदेश में एक साल में सड़क दुर्घटनाओं में 6 फीसदी से अधिक और हादसों में जान गंवाने वालों की संख्या में 8.7 फीसदी की कमी आई है। परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में यह जानकारी सामने आई। इस साल सड़क हादसों में 10 फीसदी कमी लाने और 2030 तक 50 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

सड़क सुरक्षा पर आयोजित कार्यशाला के दौरान आयुक्त सड़क सुरक्षा डीसी नेगी और अतिरिक्त आयुक्त सड़क सुरक्षा एसडी नेगी ने बताया कि सड़क सुरक्षा अभियान के तहत आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों से हादसों में कमी आई है। लोक निर्माण विभाग ने हादसों वाले ब्लैक स्पॉट में सुधार किया। पुलिस विभाग ने निगरानी बढ़ाई। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने भी अहम भूमिका निभाई।

अज्ञात वाहन की टक्कर से सड़क दुर्घटना में मौत पर 2 लाख रुपये पीड़ित के आश्रितों को देने की व्यवस्था की गई है। साल 2024 में 2109 सड़क हादसे हुए जबकि

कार्यशाला में मौजूद अधिकारी। -संवाद

2023 में 2249 हादसे हुए थे। किन्नौर में सड़क हादसों से सबसे अधिक 32 फीसदी की कमी आई है। 2024 में सड़क हादसों में 814 लोगों ने जान गंवाई जबकि 2023 में 892 मौतें हुई थीं।

सबसे अधिक कमी सोलन जिला में 29.2 फीसदी की दर्ज की गई। सड़क हादसों में साल 2024 में 3317 लोग घायल हुए जबकि 2023 में 3449 लोग घायल हुए थे। कुल्लू में सड़क हादसों में सबसे अधिक 63 फीसदी की कमी आई। परिवहन विभाग के सहायक आयुक्त नरेश ठाकुर, पुलिस उप महानिदेशक गुरदेव चंद शर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो

अमर उजाला दिनांक.20 जनवरी 2025

पेज न0.08,कालम.7,8

सड़क हादसे में घायल का डेढ़ लाख रुपए तक फ्री इलाज

हिमाचल प्रदेश में केंद्र की योजना लागू कर रही सरकार, शिमला में प्रदेश भर के अफसरों को पढ़ाया सड़क सुरक्षा का पाठ

शिमला- सड़क सुरक्षा को लेकर मंत्रणा करते अधिकारी

चीफ रिपोर्टर-शिमला

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को अस्पताल में डेढ़ लाख रुपए तक का मुफ्त कैशलैस इलाज प्रदान किया जाएगा। भारत सरकार ने यह नई व्यवस्था की है जिसे हिमाचल प्रदेश भी अपना रहा है। यह खुलासा परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने सड़क सुरक्षा जागरूकता को लेकर लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित एक कार्यशाला में किया। परिवहन महकमे ने इस साल सड़क दुर्घटनाओं में दस फीसदी की कमी करने का लक्ष्य रखा है। ऐसा तभी संभव होगा जब आम जनता परिवहन विभाग का साथ देगी। इसके लिए जरूरी होगा कि सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ें और उसपर सही तरह से अमल करें। प्रदेश के लोगों में धीरे-धीरे सड़क हादसों को लेकर जागरूकता आ रही है, जिसका उदाहरण इस बार के आंकड़ों से साफ है। प्रदेश में पिछले साल या मौजूदा वित्त वर्ष की बात करें तो सड़क दुर्घटनाओं में 6.48 फीसदी की कमी दर्ज की गई है। इससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु में भी कमी आई है और आंकड़ा 8.7 फीसदी कमी का सामने आया है। इसी संदेश को देने के लिए परिवहन विभाग ने शिमला के लोक प्रशासन संस्थान हिप्पा में एक कार्यशाला का आयोजन किया था। इसकी अध्यक्षता निदेशक परिवहन डीसी नेगी ने की। कार्यशाला में विभिन्न हितधारक जैसे पुलिस, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण, राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, सीमा सड़क संगठन, विश्वविद्यालय एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधिकारी शामिल हुए। कार्यशाला में अतिरिक्त आयुक्त सड़क सुरक्षा एसडी नेगी, पुलिस महानिरीक्षक गुरदेव चंद शर्मा सहित जिलों के सीएमओ, एएसपी, डीएसपी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग व सीई, एक्सईएन के साथ कई दूसरे अधिकारी भी शामिल थे।

■ इस साल सड़क हादसे दस फीसदी कम करने का लक्ष्य तय

अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत पर दो लाख रुपए मिलेगा मुआवजा

अब सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्ति को 1.50 लाख तक का मुफ्त इलाज तत्काल प्रभाव से दिया जाएगा। इसी तरह किसी अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर लगने से कोई व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाता है, तो उसके आश्रितों को दो लाख तक की सहायता सरकार देगी। घायल के इलाज के लिए 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने सरकारी विभागों से गुड समार्टियन एक्ट के प्रचार प्रसार को कहा। सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों की मदद के लिए स्वयं आगे आएं।

साल 2024 में 6.48 फीसदी कम हुए हादसे

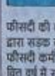

कार्यशाला में परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2024 में गत वर्ष 2023 की तुलना में लगभग 6.48 फीसदी सड़क दुर्घटनाओं में कमी पाई गई है। इसी तरह से सड़क दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या में भी लगभग 8.7 फीसदी की कमी पाई गई। इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा सड़क दुर्घटनाओं व मृतकों की संख्या में दस फीसदी कमी लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस वित्त वर्ष में सड़क सुरक्षा पर लगभग 24 करोड़ रुपए की राशि विभिन्न हित धारक विभागों के माध्यम से व्यय किए जाएंगे। इस धनराशि से पुलिस विभाग को आधुनिक उपकरण दिए जाएंगे, ऊना जिला के हरोली में स्वचालित ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक बनाया जाएगा।

दिव्य हिमाचल दिनांक.20 जनवरी 2025

पेज न0.02,कालम.1,2,3,4,5,6

शिमला, सोलन और कांगड़ा में स्थापित होंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

केंद्र के सहयोग से होंगे स्थापित, हर साल 6000 को देंगे प्रशिक्षण

शिमला। शिमला, सोलन और कांगड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित होंगे। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में पीपीपी मोड पर यह केंद्र स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक केंद्र में सालाना दो हजार लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ) के अवर सचिव मृत्युंजय कुमार की ओर से इसे लेकर प्रदेश सरकार को पत्र भेजा गया है।

देश में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। 15वें वित्त आयोग के अधीन ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (आईडीटीआरएस) क्षेत्रीय ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (आरडीटीसी) और ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की स्थापना के दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभ्यार्थियों को प्रमाणपत्र जारी करेंगे। जिनके पास ड्राइविंग सेंटरों से पास होने का प्रमाणपत्र होगा, उन्हें क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी।

> प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इन केंद्रों पर प्रशिक्षण लेने वालों को प्रमाण पत्र मिलेंगे और उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस बनाते समय ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। तीनों जिलों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए जल्द ही स्थान चयनित कर लिए जाएंगे। **– डीसी नेगी,**
> निदेशक, परिवहन विभाग

ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटरों पर रिफ्रेशर कोर्स भी करवाए जाएंगे। केंद्र व राज्यों में सरकारी वाहनों के ड्राइवरों के लिए इन केंद्रों से प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र लेना भी अनिवार्य करने का भी प्रस्ताव है। ब्यूरो

अमर उजाला दिनांक.21 जनवरी 2025
पेज न0.04,कालम.4,5

सड़क सुरक्षा पर क्या किया...23 राज्य व 7 केंद्रशासित प्रदेश दाखिल करें रिपोर्ट

शीर्ष कोर्ट में अब तक बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने दाखिल की है रिपोर्ट

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 23 राज्यों और सात केंद्र शासित प्रदेशों को मोटर वाहन कानून के हालिया प्रावधानों के कार्यान्वयन के अलावा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों पर नियम लागू करने संबंधी रिपोर्ट तलब की है। शीर्ष अदालत ने पिछले साल 2 सितंबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 136ए को मोटर वाहन नियम 167ए के साथ लागू करने का निर्देश दिया था। यह नियम अधिकारियों को तेज गति से चलने वाले वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी करने की अनुमति देता है।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने गौर किया कि पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और दिल्ली ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। शेष राज्यों को भी जल्द रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा गया है। ये सभी अनुपालन रिपोर्ट सड़क सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की समिति से साझा की जाएंगी। पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत का पैनल सभी पहलुओं पर गौर करेगा और अपने इनपुट देगा। इनके हिसाब से केंद्र इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा उपायों के प्रवर्तन पर मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने पर विचार कर सकता है।

25 मार्च को विचार करेगी कोर्ट...इस मामले में न्यायमित्र वकील गौरव अग्रवाल ने पीठ को बताया कि छह राज्यों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है और उनके संबंध में आवश्यक निर्देश पारित किए जा सकते हैं। पीठ ने कहा कि वह 25 मार्च को इस पहलू पर विचार करेगी और इस बीच सड़क सुरक्षा पर उसका पैनल रिपोर्टों पर विचार-विमर्श करते समय छह राज्यों से सहायता मांग सकता है।

पीठ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को तत्काल अनुपालन के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आदेश प्रसारित करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि राज्य सरकारों को उच्च जोखिम वाले गलियारों, प्रमुख जंक्शनों और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में उपकरण लगाने की जरूरत है।

अफसरों को वाहनों की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की अनुमति का मामला

मामला 1

यातायात कानूनों का पालन कराना मकसद

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में 2021 में शामिल की गई धारा 136ए का उद्देश्य बेहतर यातायात प्रबंधन और यातायात क़ानूनों के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए स्पीड कैमरा, क्लोज-सर्किट टेलीविजन (सीसीटीवी) कैमरा, स्पीड गन, बॉडी-वॉर्न कैमरा और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली जैसी उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल करना है।

- यह दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों और शहरी सड़कों पर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी पर भी जोर देता है। मोटर वाहन नियमों का नियम 167ए सड़क सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन और अन्य नियामक पहलुओं से संबंधित है। इसके तहत, राज्य सरकारों को राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर उच्च जोखिम और उच्च घनत्व वाले गलियारों और कम से कम दस लाख से अधिक आबादी वाले प्रमुख शहरों में महत्वपूर्ण जंक्शनों पर इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरणों की स्थापना सुनिश्चित करनी है। इसमें नियमों में निर्दिष्ट 132 शहर भी शामिल हैं।

अमर उजाला दिनांक.21 जनवरी 2025
पेज न0.08,कालम.4,5

शिमला जिला में सबसे अधिक सड़क हादसे

ऊना जिला दूसरे और सोलन तीसरे स्थान पर

शकील कुरैशी-शिमला

वर्ष 2024 में शिमला जिला में सबसे अधिक सड़क हादसे हुए हैं। हालांकि प्रदेश में कुल सड़क हादसों की बात करें, तो इसमें कमी आई है, मगर फिर भी कुछ जिला ऐसे हैं, जहां पर पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हादसे हुए। हादसों की संख्या इन जिलों में बढ़ी है। इसमें सबसे प्रमुख शिमला जिला है, जहां पर हादसों की संख्या बढ़ी है। शिमला जिला में वर्ष 2024 में कुल 319 हादसे हुए हैं, जबकि वर्ष 2023 में हादसों की संख्या यहां पर 298 रही है। हादसों में वर्ष 2024 में ऊना व सोलन दूसरे व तीसरे स्थान पर रहे हैं। यहां सड़क हादसों के तुलनात्मक आंकड़े जारी हो गए हैं। इसमें साफ हुआ है कि वर्ष 2023 के मुकाबले प्रदेश की बात करें ता यहां पर हादसों में कमी आई है। बद्दी में वर्ष 2023 में जो सड़क हादसे हुए थे उनकी संख्या 166 की रही, जबकि 2024 में यही आंकड़ा घटकर 142 रह गया। बिलासपुर में 2023 में 154 सड़क हादसे हुए और 2024 में 142 हादसे हुए हैं। इसी तरह से चंबा में जहां काफी बड़े दर्दनाक हादसे हुए हैं, वहां पर 2023 में 93 सड़क हादसे हुए थे और 2024 में यहां पर हादसों की संख्या घटकर 78 रह गई है। यह एक अच्छा संकेत है। देहरा में 71 सड़क हादसों की बजाय 53 सड़क हादसे हुए हैं वहीं हमीरपुर में 93 हादसों की जगह 83 सड़क हादसे हुए हैं। प्रदेश के सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी सड़क हादसों में कमी आई है, जहां पर 2023 में 223 हादसे हुए थे वहीं 2024 में 164 हादसे हुए। किन्नौर में 50 के मुकाबले 34 हादसे हुए, तो वहीं कुल्लू में 143 की अपेक्षा 157 सड़क हादसे हुए हैं। कुल्लू में इन हादसों की संख्या बढ़ी है। लाहुल-स्पीति में भी पहले 18 हादसे हुए थे, तो 2024 में इनकी संख्या 22 हुई है। इसी तरह से अन्य जिलों का तुलनात्मक ब्यौरा देखें, तो मंडी में 2023 में 285 सड़क हादसे पेश आए थे जबकि 2024 में 268 हादसे हुए वहीं नूरपुर में 88 के मुकाबले 77 हादसे पेश आए हैं। शिमला में 298 हादसे 2023 में पेश आए थे, जिनके मुकाबले यहां पर 319 हादसे हुए हैं। सिरमौर में 206 के मुकाबले 171, सोलन में 180 के मुकाबले 187 व ऊना में 181 हादसे 2023 में हुए थे और 2024 में 212 हादसे हुए हैं। यहां पर भी हादसों का ग्राफ बढ़ा है। कुल आंकड़े की बात करें तो प्रदेश में वर्ष 2023 में 2249 सड़क हादसे हुए थे और वर्ष 2024 में हादसों की संख्या कम होकर 2109 तक रह गई है। -एचडीएम

- साल 2023 के मुकाबले हादसों में आई कमी 2024 में पेश आई 2109 दुर्घटनाएं

सड़क हादसों पर जागरूक कर रहा विभाग

लोगों में सड़क हादसों को लेकर जागरूकता लाने क काम किया गया है। परिवहन विभाग अन्य दूसरे विभागों के साथ मिलकर यहां पर जागरूकता अभियान चला रहा है। हिमाचल की सर्पीली सड़कों पर इससे पहले काफी ज्यादा संख्या में हादसे होते रहे हैं, जिसमें अब धीरे-धीरे कमी हो रही है। यहां शिमला जिला में संख्या बढ़ने को लेकर खुद सरकारी अदारा भी परेशान है। यहां विशेष ध्यान देना जरूरी है, ताकि भविष्य में ऐसे हादसों में और ज्यादा कमी आ सके।

साल 2023 में 892, 2024 में 814 मौतें

इन हादसों में मृत्यू के आंकड़ों की बात करें तो वर्ष 2023 में 892 लोगों की मौत हुई थी और 2024 में 814 लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क हादसों में मृतकों की संख्या भी कम हुई है, जिस पर और ज्यादा लगाम लगाने की सोची गई है। इन हादसों की संख्या को कम करके इसमें दस फीसदी तक कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। परिवहन विभाग के निदेशक डीसी नेगी ने कहा कि लोगों को विस्तृत रूप से सड़क पर वाहन चलाने के नियम बताए जा रहे हैं। सख्ती भी बरती जा रही है, जिसका नतीजा है कि हादसों में कमी आई है। जिन जिलों में हादसे ज्यादा हुए हैं, वहां पर और काम किया जाएगा।

दिव्य हिमाचल, दिनांक.21 जनवरी 2025
पेज न0.04,कालम. 5,6

उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

स्कूल बसों की जांच सुनिश्चित करें एसडीएम व आरटीओ

हिमाचल दस्तक ▪ बिलासपुर

बिलासपुर में मंगलवार को उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिसमें सड़क सुरक्षा के विभिन्न पहलुओं की विस्तार से समीक्षा की गई और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए उठाए गए कदमों पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने बताया कि इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में कमी दर्ज की गई है, जो विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय और प्रभावी कार्यवाही का परिणाम है। उन्होंने सभी विभागों को और अधिक सक्रियता के साथ कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है, और इसके लिए व्यापक स्तर पर कदम उठाए जा रहे हैं। उपायुक्त ने विद्यार्थियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए आरटीओ और एसडीएम को निर्देश दिए कि वे स्कूल बसों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि स्कूल परिवहन सेवाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

- कहा- सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता
- डीसी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक का हुआ आयोजन

उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के माध्यम से लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

बैठक में एसडीएम, लोक निर्माण विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग, परिवहन विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करे विभाग

उपायुक्त ने बैठक के दौरान सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिले में सभी ब्लैक स्पॉट्स की पहचान करें और उन्हें तुरंत सुधारें। उन्होंने एनएचएआई से भी इन ब्लैक स्पॉट्स की प्रगति रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उपायुक्त ने कहा कि ब्लाइंड मोड़ पर मिरर लगाए जाएं, ताकि वाहन चालकों को बेहतर दृश्यता मिल सके। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगरानी रखने के लिए कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ साथ आवश्यक स्थानों पर अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि सड़कों पर यातायात नियंत्रण में सुधार हो।

राष्ट्रीय राजमार्ग पर तैनात हो एंबुलेंस

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं की स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान करने के लिए एंबुलेंस तैनात करने के प्रयास किए जाएंगे। यह कदम आपात स्थिति में तेजी से मदद सुनिश्चित करेगा। उपायुक्त ने कहा कि सड़क पर जरूरतमंदों की सहायता करने वाले गुड सेमेरिटन को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा। इसका उद्देश्य अन्य लोगों को प्रेरित करना और समाज में सकारात्मकता को बढ़ावा देना है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–22 जनवरी 2025
पेज न0–6, कालम–1,2,3,4

अब परिवहन निगम को बार-बार परमिट लेने का झंझट हुआ खत्म

राज्य परिवहन विभाग की ओर से निगम को एक ही बार परमिट होगा जारी

सरकार ने जारी की अधिसूचना, परिवहन निगम लेता था अस्थायी परमिट

शिमला। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसों के लिए बार-बार परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी। सरकार ने बार बार परमिट लेने के झंझट को ही खत्म कर दिया है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से अब निगम को एक ही बार परमिट जारी करेगा।

इसकी मियाद 5 साल की होगी। 5 साल बाद इसका पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। अभी तक पथ परिवहन निगम अस्थायी परमिट लेता था जिसकी मियाद 6-6 महीने की होती थी। सरकार ने इसको लेकर नीति में बदलाव कर दिया है। प्रदेश सरकार ने बुधवार को स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग स्कीम-2025 को लागू किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन विभाग) आरडी नजीम की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। परिवहन विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर लोगों व परिवहन निगम से सुझाव व आपत्तियां मांगी हैं। 30 दिन के भीतर लोग इस बारे में सुझाव व आपत्तियां दर्ज करवा सकेंगे। प्रदेश सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि लोगों के आपत्तियों और सुझाव के बाद इसमें बदलाव किया जा सकेगा। इसके बाद फिर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

विभाग के अनुसार एचआरटीसी के 3264 रूट हैं, जो इस योजना के अधीन आ जाएंगे। इनमें अंतरराज्यीय रूटों की संख्या 779 व राज्यांतरिक रूटों की संख्या 2484 है। सरकार इसको लेकर विधानसभा के बजट सत्र में विधेयक भी लाएगी। ब्यूरो

अमर उजाला दिनांक–23 जनवरी 2025
पेज न0–2, कालम–5,

लोगों को अच्छे से समझाओ ट्रैफिक नियम

उपायुक्त किन्नौर ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

दिव्य हिमाचल ब्यूरो–रिकांगपिओ

रिकांग पिओ स्थित उपायुक्त सभागार में उपायुक्त किन्नौर डा. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। उपायुक्त ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को दक्षता के साथ आयोजित करें ताकि जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों को यातायात नियमों व वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। डा. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की आगामी बैठक 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी। जिसमें सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की गई सभी गतिविधियों पर समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा जिला रोल आउट प्रबंधक एनआईसी किन्नौर अश्वनी नेगी द्वारा जिला के सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी तथा उपस्थित जनों को सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत करवाया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक शेखर, उपमंडलाधिकारी कल्पा डा. मेजर शशांक गुप्ताए क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जसपाल सिंह नेगी, अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग दिनेश सेन व जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. अंवेषा नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

दिव्य हिमाचल, दिनांक 24 जनवरी 2024
पेज न0–5, कालम 3,4,5

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 13165 ड्राइवरों के चालान

अमन वर्मा–शिमला

- साल 2024 में पुलिस ने कसा शिकंजा
- 3391 लाइसेंस निलंबित करने की सिफारिश

प्रदेशभर में पुलिस ने शराब के नशे में वाहन चलाने वाले चालकों पर शिकंजा कस दिया है। पुलिस प्रदेशभर में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी के दौरान साल 2024 में ड्रंक एंड ड्राइव के 13165 चालान किए हैं। पुलिस ने प्रदेश में ड्रंक एंड ड्राइव के मामलों में 3391 वाहन चालकों के लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें भेजी हैं। डीआईजी टीटीआर गुरदेव शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिला पुलिस अधीक्षकों के साथ-साथ टीटीआर यूनिट की कड़ी निगरानी में नशे में गाड़ी चलाने के खिलाफ प्रवर्तन तेज करने का निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश पुलिस सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी सड़क उपयोगकर्ताओं से अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए यातायात कानूनों का पालन करने का आग्रह करती है। –एचडीएम

किस जिला में, कितने चालान

पुलिस जिला बद्दी –1333 चालान, 150 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
बिलासपुर जिला –1128 चालन, 450 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
चंबा जिला – 831 चालान और 365 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
पुलिस जिला देहरा –122 चालान, 69 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
हमीरपुर जिला– 446 चालान और 145 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
कांगड़ा जिला–1273 चालान और 198 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
किन्नौर जिला–411 चालान और 18 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
कुल्लू जिला–8862 चालान और 106 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
लाहुल जिला –189 चालान और 64 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
मंडी जिला – 1493 चालान और 397 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
पुलिस जिला नुरपुर – 544 चालान, 145 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिश
शिमला जिला –2078 चालान और 535 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
सिरमौर जिला –593 चालान और 94 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
सोलन जिला –1376 चालान और 477 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
ऊना जिला –339 चालान और 106 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
जीआरपीएस शिमला 66 चालान और 42 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें
जीआरपीएस कांगड़ा – 81 चालान, 30 लाइसेंसों के निलंबन की सिफारिशें

दिव्य हिमाचल, दिनांक 24 जनवरी 2024
पेज न0–5, कालम 3,4,5

संतोषगढ़ में यातायात नियमों पर बांटी जानकारी

संतोषगढ़। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत वीरवार को संतोषगढ़ आईटीआई में नेहरू युवा केंद्र ऊना और क्षेत्रीय परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर की अध्यक्षता उपायुक्त ऊना जतिन लाल ने की। शिविर में नुक्कड़ नाटकों के जरिए सड़क सुरक्षा नियमों की पालना के महत्व बारे में बच्चों को जागरूक किया गया। उपायुक्त जतिन लाल सभी से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों की अवलेहना, अत्यधिक तेज गति से वाहन चलाना और लापरवाही से आवेरटेक करना, अनेक दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। इसमें सुधार के लिए हम सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्होंने आईटीआई के बच्चों को नशे से दूर रहकर सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की सीख दी। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की आगे बढ़कर सहायता करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद को लेकर लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से गुड स्मार्टियंस नामक योजना आरंभ की गई है। इस मौके पर क्षेत्रीय प्रबंधक अशोक कुमार और एनवाईके ऊना के जिला समन्वयक प्रदीप कुमार ने युवाओं को सड़क सुरक्षा नियमों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–24 जनवरी 2025

पेज न0–5, कालम–3,

सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न गतिविधियों पर की चर्चा

रिकांगपिओ : सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए डी.सी. किन्नौर। (रिपन)

रिकांगपिओ, 23 जनवरी (रिपन): जनजातीय जिला किन्नौर के डी.सी. कार्यालय सभागार में वीरवार को डी.सी. किन्नौर डा. अमित कुमार शर्मा की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया।

बैठक में सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों पर विस्तृत चर्चा की गई। डी.सी. ने इस दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की जाने वाली विभिन्न जागरूकता गतिविधियों को दक्षता के साथ आयोजित करें, ताकि जनजातीय जिला किन्नौर के लोगों को यातायात नियमों व वाहन चलाते समय बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके।

डा. अमित कुमार शर्मा ने कहा कि जिला सड़क सुरक्षा समिति की आगामी बैठक 30 जनवरी को आयोजित की जाएगी, जिसमें सड़क सुरक्षा माह के तहत आयोजित की गई सभी गतिविधियों पर समीक्षा की जाएगी।

इसके अलावा जिला रोल आऊट प्रबंधक एन.आई.सी. किन्नौर अश्वनी नेगी द्वारा जिला के सभी नोडल अधिकारियों को प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

इस अवसर पर अतिरिक्त आयुक्त परिवहन हिमाचल प्रदेश द्वारा पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा के बारे में विस्तृत प्रस्तुति दी गई तथा उपस्थितजनों को सड़क सुरक्षा माह के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों से अवगत करवाया।

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक किन्नौर अभिषेक शेखर, उपमंडलाधिकारी कल्पा डा. मेजर शशांक गुप्ता, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी जसपाल सिंह नेगी, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग दिनेश सेन व जिला कार्यक्रम अधिकारी डा. अन्वेषा नेगी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।

नगाली स्कूल में डीएसपी डलहौजी हेमंत कुमार ने जागरूक किए छात्र

दोपहिया वाहन चलाते समय करें हेलमेट का प्रयोग

हिमाचल दस्तक ■ डलहौजी

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला नगाली में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें प्रधानाचार्य राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बलेरा जगजीत आजाद मुख्यअतिथि के रूप में, विशेष अतिथि के रूप में डीएसपी डलहौजी हेमंत कुमार व विद्यालय प्रबंधन समिति की अध्यक्ष पूजा देवी मौजूद रहे। विद्यार्थियों के लिए पोस्टर, पेंटिंग व भाषण प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया। इसमें विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया । इस मौके पर डीएसपी डलहौजी ने सड़क सुरक्षा नियमों की जानकारी दी। मुख्य अतिथि महोदय ने सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने, दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग करने एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करने पर जोर दिया। विद्यालय के कार्यवाहक प्रधानाचार्य संदीप राज राठौड़ ने सभी का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर धन्यवाद किया।

सड़क सुरक्षा पर बैठक

चंबा। उपायुक्त कार्यालय परिसर के बैठक कक्ष में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कार्यालय चंबा की ओर से आई आरएडी व ई डीएआर के संबंध में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से आई आरएडी चंबा के जिला रोलआउट प्रबंधक पंकज चौहान ने बताया कि आई आरएडी, ई डीएआर एप्लीकेशन सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक पहल है, जिसमें पुलिस दुर्घटना स्थल से सूचना एकत्रित करती है और राजमार्ग, स्वास्थ्य और परिवहन विभाग जैसे विभिन्न विभागों को अनुरोध भेजती है।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–29 जनवरी 2025

पेज न0–15, कालम–4,5,6,7,8

यातायात नियमों के उल्लंघन पर बस चालक को जुर्माना

समयसारिणी का उल्लंघन करने पर कार्रवाई

संवाद न्यूज एजेंसी

शिमला। राजधानी में एक निजी बस चालक को यातायात नियमों का उल्लंघन करना महंगा पड़ा। सत्र न्यायालय ने जिला मंडी निवासी अविनाश कुमार (बस चालक) को बिना बीमा के बस चालने और समयसारिणी का उल्लंघन करने के अपराध में दोषी ठहराया है।

अदालत ने अविनाश कुमार को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177 के तहत दंडनीय अपराध के लिए 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को 1 दिन का कारावास भुगतान होगा। साथ ही एमवी एक्ट की धारा 196 के तहत दोषी को 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन का कारावास भुगतना होगा। इसके अलावा दोषी को एमवी एक्ट की धारा 184 के तहत दंडनीय अपराध के आरोप से बरी किया है।

अदालत से

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संदीप सिंह सिहाग की अदालत ने आदेश पारित करते हुए यह फैसला सुनाया है। वर्ष 2023 में मोटर वाहन एक्ट में संशोधन के तहत हिमाचल में इस तरह का यह पहला मामला है। यह मामला 2 मई 2019 में राजधानी शिमला के ओल्ड बस स्टैंड का है। दोपहर

जुर्माना अदा न करने पर भुगतनी होगी 10 दिन कैद

12:03 बजे स्थानीय बस स्टैंड में आरोपी अविनाश कुमार अनुमोदित समयसारिणी के उल्लंघन में निजी बस चलाते पकड़ा गया। समयसारिणी के मुताबिक बस स्टैंड से 11:31 बजे आगमन और 11:33 बजे बस का प्रस्थान का समय था जबकि यह आधे घंटे की देरी से पहुंची। ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कर्मी के दस्तावेज मांगने पर आरोपी वैध बीमा पॉलिसी पेश करने में भी विफल रहा।

हालांकि उसने स्कैन किया हुआ ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत किया था और बाद में डीडीयू बाइफिरकेशन के पास बस चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करते पकड़ा गया। इसके बाद 6 सितंबर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 177, 196 और 184 के तहत दंडनीय अपराध की उल्लंघन रिपोर्ट अदालत में पेश की गई। विपक्षी पक्ष की ओर से दलील दी गई कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करने के कथित तथ्य को पहली बार में उल्लंघन के रूप में देखा जाना चाहिए। अदालत ने अब आरोपी को दोषी ठहराया है। शिमला यातायात शाखा के तत्कालीन हेड कांस्टेबल मदन लाल ने यह कार्रवाई की थी।

अमर उजाला दिनांक–29 जनवरी 2025

पेज न0–4, कालम–1,2

आर्यन स्कूल में जागरूकता कार्यक्रम के दौरान छात्रों से आह्वान

दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत पहुंचाएं अस्पताल

हिमाचल दस्तक ▮ पंजैहरा

आर्यन पब्लिक वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झिड़ीवाला में सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय नालागढ़ द्वारा किया गया। मुख्य परिवहन अधिकारी मदन शर्मा ने बतौर मुख्यअतिथि कार्यक्रम में भाग लिया। मदन शर्मा ने बताया की सड़क दुर्घटनाएं आज के समय में आम हो गई हैं, इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत फर्स्ट एड दी जानी चाहिए तथा तुरंत नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया जाना चाहिए। इस अवसर पर सूचना एवं जन संपर्क विभाग शिमला की टीम पूजा कला मंच बाड़ीधार जिला सोलन की टीम ने विशेष नाटक एवं गायन के माध्यम से सड़क सुरक्षा के विषय में प्रस्तुतियां दी। कला मंच ने बताया की जीवन अमूल्य है यह सड़क पर दुर्घटना में खोने के लिए नहीं है। मुख्यअतिथि का स्वागत स्कूल के प्रबंध निदेशक जरनैल सिंह ने किया। मुख्यअतिथि के साथ अन्य विभागों के अधिकारी व कर्मचारी भी उपस्थित थे। जरनैल सिंह चंदेल ने कहा कि हमें आशा है कि सारे बच्चे सड़क सुरक्षा के ऊपर बताई गई बातों पर अमल करेंगे तथा दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करेंगे। स्कूल के प्रधानाचार्य सुरिंद्र कुमार ने कहा कि टू-व्हीलर पर हमेशा हेलमेट पहनकर चलना चाहिए तथा सड़क पर लगे संकेतों का पालन करना चाहिए।

सड़क सुरक्षा पर कार्यशाला आयोजित

सोलन। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता के विषय पर बुधवार को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला की अध्यक्षता क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर ने की। सुरेंद्र ठाकुर ने कार्यशाला में उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा तथा यातायात के नियमों के विषय में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने सभी को सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग, आपातकालीन सेवाएं, चेतावनी व सूचना पट्ट, ट्रैफिक लाइट तथा अन्य तथ्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है कि सड़क दुर्घटना के नियंत्रण के लिए सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों का पालन करें। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि अपने परिवार के सदस्यों, मित्रों तथा अन्य को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करें। उन्होंने कहा कि वाहन का परिचालन सही उम्र में करें अथवा आवश्यकता पड़ने पर अपने परिवार जनों की सहायता प्राप्त करें, जिससे सड़क दुर्घटना में कमी लाई जा सके। सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की सहायता करने वाले व्यक्ति को इनाम का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि दुर्घटना की परिस्थिति में लोगों की सहायता करें ताकि उनके अमूल्य जीवन को बचाया जा सके। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने इस अवसर पर सड़क सुरक्षा के बारे में प्रस्तुतिकरण भी दिया। कार्यशाला में बस चालक, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ट्रक, पिकअप यूनियन सोलन के सदस्य, ड्राइविंग स्कूल के मालिक, हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारी व कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–30 जनवरी 2025

पेज न0–9, कालम–1,2

सड़क सुरक्षा जागरूकता शिविरों का करें आयोजन

बैठक के दौरान डीसी सुमित खिम्टा ने अधिकारियों को दिए निर्देश

हिमाचल दस्तक ब्यूरो ▮ नाहन

उपायुक्त सिरमौर सुमित खिम्टा की अध्यक्षता में वीरवार को उपायुक्त कार्यालय में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त ने बैठक में रोड सेफ्टी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी ली। उन्होंने जिला चिकित्सा अधिकारी, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा पुलिस विभाग को निर्देश दिए की मेडिकल कॉलेज, इंजिनियरिंग कॉलेज, आईटीआई वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं तथा डाईट जैसी संस्थानों में नियमित सड़क सुरक्षा जागरूकता शिवरों का आयोजन किया जाए। इसके अलावा कालाअंब से पांवटा तक सड़क किनारे रहने वाले लोगों को दुर्घटना के समय बचाव कार्य करने के बारे में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जिला के अन्य शिक्षण संस्थानों में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन करना सुनिश्चित करें ताकि अधिक से अधिक युवाओं को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर जिला में 16 शिविरों का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा नाहन शहर के प्रमुख स्थानों पर साइनेज भी लगा दिए गए है। इस अवसर पर उपमंडल दंडाधिकारी राजीव सांख्यान, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक, एक्सईएन लोक निर्माण विभाग आलोक जुनैजा, डीएसपी रमाकांत ठाकुर, राष्ट्रीय राजमार्ग के नितिश शर्मा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोना चौहान सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–31 जनवरी 2025

पेज न0–9, कालम–1,2,3,4

राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम के दौरान बोले डीसी मनमोहन शर्मा

वाहन चलाते समय हमेशा रखें सुरक्षा का ध्यान

हिमाचल दस्तक ▮ सोलन

उपायुक्त सोलन मनमोहन शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों का पालन सड़क सुरक्षा की सर्वोत्तम गारंटी है। हम सभी को नियम पालन के साथ-साथ संवेदनशीलता के साथ वाहन चलाने चाहिए। यह बात मनमोहन शर्मा ने वीरवार को यहां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला रेडक्रॉस समिति सोलन द्वारा आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कही। मनमोहन शर्मा ने इस अवसर पर सड़क सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना भी किया। मनमोहन शर्मा ने कहा कि यातायात नियमों के पालन के साथ-साथ मदिरा के सेवन के उपरांत वाहन चलाना न केवल चालक

अपितु अन्य यात्रियों एवं पथिकों की सुरक्षा के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा एक व्यापक विषय है और इसके अंतर्गत चालक के साथ-साथ अन्य सभी की सुरक्षा निहित है। सड़क सुरक्षा के लिए जन-जन का जागरूक होना आवश्यक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय अपने और अपने परिजनो के साथ-साथ सभी की सुरक्षा का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना होने में एक पल लगता है किंतु उसके दुष्प्रभावों को बहुत लंबे समय तक झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यातायात नियमों के विषय में प्रत्येक वाहन चालक को शिक्षित होना आवश्यक है। उन्होंने सभी से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग न करें, अपनी लेन में चलें, सीट बेल्ट का प्रयोग करें, दोपहिया वाहन चालक हेलमेट का प्रयोग करना सुनिश्चित करें ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। उन्होंने विशेषकर युवाओं से आग्रह किया कि वाहन चलाते समय होश से काम लें और गति को नियंत्रित रखें। उपायुक्त ने सभी से आग्रह किया कि किसी भी दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति को समय पर चिकित्सा सहायता तक पहुंचाने में सहयोग दें। उन्होंने कहा कि दुर्घटना में शारीरिक चोट लगने के उपरांत का पहला घंटा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इस 'गोल्डन ऑवर' में घायल को तत्काल और समुचित प्राथमिक चिकित्सा देने से उसका जीवन बचने की संभावना कई गुणा बढ़ जाती है। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सोलन सुरेंद्र ठाकुर, हिमाचल पथ परिवहन निगम सोलन के क्षेत्रीय प्रबंधक सुरेंद्र राजपूत, रेडक्रॉस समिति सोलन के सदस्य कुल राकेश पंत, डॉ. लेखराम कौशिक, रेडक्रॉस समिति की सीमा व नेहरू युवा केंद्र के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

हिमाचल दस्तक, दिनांक–31 जनवरी 2025
पेज न0–12, कालम–4,5,6,7

***